न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 54/2025 G.C.M.S. No. 2025/533 दर्ज दिनांक : 06.06.2025

अपीलार्थिगण:

सुरजनराम पुत्र छगनाराम जाति मेघवाल निवासी वाडाभाडवी, तहसील बागोड़ा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मांगाराम पुत्र लादाराम मृतक के कायम मुकाम
   1/1 चम्पादेवी बेवा मांगाराम
   1/2 अमराराम पुत्र मांगाराम
   1/3 गिगाराम पुत्र मांगाराम
   1/4. सावलाराम पुत्र मांगाराम
   1/5. भीखीदेवी पुत्र मांगाराम
   1/6 फालू पुत्र मांगाराम जाति मेघवाल निवासी वाडाभाडवी
2. गीगाराम पुत्र वीरमाराम
3. मगनाराम पुत्र गलाराम
4. मीठाराम पुत्र प्रभुराम
5. रेवाराम पुत्र मानाराम
6. साकलाराम पुत्र वीरमाराम
7. गेरादेवी पुत्री छगनाराम
8. दशरथ पुत्र छगनाराम
9. परसीराम पुत्र छगनाराम
10. मणी देवी पुत्री छगनाराम
11. सुकी बेवा छगनाराम तमाम जातियान मेघवाल निवासी वाडाभाडवी, तहसील बागोड़ा जिला जालोर
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बागोड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2024 बअनवान मांगाराम बनाम गीगाराम में पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी

पैरोकार:–

1. श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री घनश्याम सिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 24.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2024 बअनवान मांगाराम बनाम गीगाराम में पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मांगाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मौजा वाडा भाडवी के खसरा संख्या 1727/693 रकबा 1.4660 हैक्टर भूमि उसके खातेदारी की आई हुई है उसके खेत के लगते खसरा संख्या 1859/1638 के पूर्वी सेडे पर कटान रास्ता विरार से वाडा भाडवी मुख्य सड़क से मिलता है जिसमें नक्शा परिशिष्ठ अ में ए से बी मार्क दर्शाया गया है। प्रार्थना पत्र में यह वर्णित किया गया है कि उक्त रास्ता से प्रार्थी के प्रवेश करने व कृषि उपकरण लाने व ले जाने हेतु आदेशित किया जावे व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 1859/1638 में प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ अ अनुसार ए, बी, सी, डी अनुसार कुल रकबा 0.0250 हैक्टर गलत रूप से रास्ता घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह वर्णित किया है कि नक्शा परिशिष्ठ अ में मार्क ए से बी भाग कोई रास्ता नहीं होकर हमारे खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 695 से लगता हमारे खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1859/1638 की भूमि है जिसमें हमारे पक्के मकान बने हुए है तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1727/693 में आने के लिए नजदीक में रास्ता 178/652 आया हुआ है। जो ग्रेवल सड़क है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब के तथ्यो पर बिना गौर किये मात्र पटवारी व आर. आई हल्का की एक तरफा मौका फर्द के आधार पर जैर अपील निर्णय करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व वाक्याती भूल की है। अप्रार्थी संख्या 02 छगनाराम पुत्र मानाराम मेघवाल की मृत्यु दिनांक 01.10.2024 को हो चुकी है जिसके कायम मुकाम अपीलांट सुरजनराम तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 07 से 11 है जिनको छगनाराम के वारिस के रूप में अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार नहीं बनाया है तथा अपीलांट के पिता छगनाराम मृत व्यक्ति के विरूद्ध गलत रूप से निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। आर. आई व पटवारी हल्का द्वारा जो मौका हमारी गैर मौजुदगी में प्रार्थी से मिलावट कर देखा गया है। उस पटवारी व आर आई ने कोई नोटिस व सूचना नहीं दी तथा गैर मौजुदगी में मौका रिपोर्ट बनाई गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमावे।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्रार्थी मांगाराम द्वारा ग्राम बाडाभाड़वी में स्थित अपनी खातेदारी आराजी के खेत खसरा नम्बर 1727/693 रकबा 1.4660 हैक्टेयर तक आवागमन के लिए रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1859/1638 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलाधीन आदेश से प्रभावित खसरा संख्या 1859/1638 में छगनाराम पुत्र मानाराम मेघवाल बतौर खातेदार दर्ज है, जिसकी मृत्यु दिनांक 01.10.2024 को हो चुकी थीं। इसके बावजूद अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 07 से 11 जो कि मृतक के वारिसान है, को बतौर कायम मुकाम संयोजित नहीं किया गया तथा मृतक के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.03.2025 पारित किया गया।
3. चूंकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 07 से 11, छगनाराम पुत्र मानाराम मेघवाल के वारिसान है तथा छगनाराम फौत हो चुका हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार छगनाराम के वारिसान को बतौर पक्षकार संयोजित किए बिना उसकी खातेदारी आराजी में से रास्ता स्वीकृत किया है। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट हस्तगत प्रकरण में स्वाभाविक रूप से आवश्यक पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार है। जिन्हें हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः पृथक से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।
4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय एवं अपीलाधीन निर्णय द्वारा रास्ता स्वीकृत करने से प्रभावित खसरा संख्या 1859/1638 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता छगनाराम पुत्र मानाराम मेघवाल खसरा संख्या 1859/1638 के अभिलिखित खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित खातेदार को पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है एवं छगनाराम दिनांक 01.10.2024 को फौत हो चुका था तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.03.2025 इसके पश्चात पारित किया गया, लेकिन मृतक के वारिसान अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 07 से 11 को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक से अपीलांट को निर्णय की जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरण की मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका फर्द पर प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य किसी प्रभावित खातेदार के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं न ही मौका फर्द में प्रभावित खसरा संख्या 1859/1638 के खातेदारान को मौके पर उपस्थित होने के लिए सूचित किए जाने/बावजूद सूचना उपस्थित/अनुपस्थित या हस्ताक्षर करने से इंकार करने आदि का कोई अंकन नहीं हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा मौकाफर्द प्रभावित खातेदारान को सूचित किए बिना तैयार की गई हैं। जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्देश एवं आदर्श प्रारूप जारी किया हुआ है। जिसकी पालना नहीं की गई। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा न तो नजरी नक्शा तैयार किया, न ही प्रार्थी की आराजी के पहुच के लिए संभावित विकल्प प्रस्तावित किए गए ताकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परीक्षण उपरांत निकटतम दूरी के विकल्प को रास्ते के रूप में स्वीकार कर सके। भू अ नि द्वारा प्रार्थी की मांग अनुसार प्रार्थी की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर रास्ता प्रस्तावित किया गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर किए बिना मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया गया। प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के आज्ञापक विधिक प्रावधानो का अनुपालन किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

6. अपीलाधीन आदेश व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 1859/1638 में से रास्ता स्वीकृत किया गया है लेकिन खसरा संख्या 1859/1638 के अभिलिखत खातेदार अपीलांट के पिता छगनाराम की मृत्यु दिनांक 01.10.2024 को हो जाने के बावजूद मृतक के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लाए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2025 पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2024 बअनवान मांगाराम बनाम गीगाराम में पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.04.2026 को असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली